भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 920

30 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

थैलेसीमिया का समय पर पता लगाना

920. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनिवार्य थैलेसीमिया जांच को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को थैलेसीमिया की जांच और टेस्टिंग को अपनाने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): थैलेसीमिया लाल रक्त कोशिकाओं के वंशानुगत विकारों में से एक है जो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत भारत में हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की रोकथाम और नियंत्रण - थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग और अन्य वैरिएंट हीमोग्लोबिन (2016) पर व्यापक दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए थे, ताकि थैलेसीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की जांच और प्रबंधन में राज्यों की सहायता की जा सके।

थैलेसीमिया के प्रबंधन के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालांकि, एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों की जांच के लिए सहायता शामिल है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सहायता उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और स्क्रीनिंग के लिए थैलेसीमिया का डेटा नियमित रूप से राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। दिनांक 24/07/2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 9,07,204 व्यक्तियों की थैलेसीमिया संबंधी जांच की गई है और 2597 व्यक्तियों के थैलेसीमिया रोग से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है।
